भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 527
जिसका उत्तर बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

बीआईएस का लाइसेंस

527. श्री नवीन जिंदल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में हेलमेट निर्माता भारतीय अध्ययन ब्यूरो (बीआईएस) के लाइसेंस के बिना व्यवसाय कर रहे हैं या नकली आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनभिज्ञ उपभोक्ताओं के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कदाचार बेरोकटोक जारी रहने के क्या कारण हैं; और
(ग) घटिया हेलमेट के उत्पादन और उपलब्धता को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 1 जून, 2021 के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से आईएस 4151:2015 के अनुसार दोपहिया वाहन सवारों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है, जिससे वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना या नकली आईएसआई चिह्न वाले हेलमेट के विनिर्माण, आयात, बिक्री और वितरण पर रोक लग गई है। आईएस 4151:2015 के तहत प्रमाणन के बिना विनिर्मित या बेचा गया कोई भी हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लंघन और अपराध है।

वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना हेलमेट की बिक्री या हेलमेट के लिए बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में ऐसे विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया ताकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा 1 जून, 2021 को जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेटों को और दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र के डीसी/डीएम और एसपी को आ.शा. पत्र जारी किए गए, जिसमें अनुरोध किया गया कि जिन फर्मों का लाइसेंस समाप्त/रद्द हो चुका है, उनके परिसर का भौतिक निरीक्षण किया जाए।

विशेष अभियान के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 (अब तक) के दौरान 9 विनिर्माताओं के यहां छापेमारी और जब्ती अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2,500 से अधिक हेलमेट जिनके पास वैध बीआईएस प्रमाणन नहीं था, जब्त किए गए। इसके अलावा, वैध बीआईएस प्रमाणन के बिना उपभोक्ताओं को हेलमेट बेचने वाले 18 खुदरा आउटलेट/सड़क किनारे विक्रेताओं के खिलाफ भी छापेमारी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 500 हेलमेट जब्त किए गए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसमें पहले उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2.00 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है, जिसे निर्मित या बेचे गए माल के मूल्य के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है, और इसमें दो वर्ष तक की जेल भी शामिल हो सकती है।

*****